भारत में सफेदपोश अपराध से सम्बन्धित विधियों का आलोचनात्मक अध्ययन

शोध सारांश

पी0 एच0 डी0 उपाधि (विधि) हेतु प्रस्तुत

शोध छात्रा

अलका नन्दा

पर्यवेक्षक

प्रो0 (डॉ0) अनिरूद्ध राम

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय

गंगा नगर मेरठ, उत्तर प्रदेश

2020–2021

प्रस्तावना

भारत वर्ष में सामाजिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तथा जनमानस की दशा बेहतर करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया गया है। राष्ट्रीय आर्थिकता को बनाए रखने तथा उन लोगों द्वारा शोषण न किये जाने के लिए जो शोषण करने की स्थिति में है, विधियों का अधिनियमन किया गया है, किन्तु समाज के सामूहिक हित को वैयक्तिक हित अधिशासित किए हुए है। उदाहरणार्थ, सरकार को सहयोग करने की अपेक्षा विधिक मानदण्डों का अतिलंघन किया जाता है। भारी कर के कारण लोग कर देने से कतराते है क्योंकि वे लोग जो व्यवसाय में कठोर परिश्रम करते है इसके परिणाम का पूरी तरह आनन्द प्राप्त करना चाहते है। सफेदपोश अपराधियों को कभी–कभी उन लोगों की छत्र–छाया में पाया जाता है जिन पर इन अपराधियों से समाज को सुरक्षित करने का उत्तरदायित्व होता है। जैसा कि हम सब जानते है कि कुछ व्यवसायों में अनैतिक व्यवहारों के लिए ऐसे पर्याप्त लाभदायक अवसर रहते है जिनकी ओर जनमानस विशेष ध्यान नहीं देती है। अनेक व्यवसायों में कार्यरत कुछ व्यक्ति क्षेत्र तथा जन सेवी संस्थाओं में बहुधा पाये जाते है। संभवतः उनमें यह दुष्प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि परिवार एवं स्कूलों में उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिल सकी या वे अपने प्रारम्भिक जीवन में उपेक्षित रहे है इसलिए उनके चरित्र निर्माण में कही न कही कुछ कमी रह गई होती है। ऐसे लोग नैतिकता या ईमानदारी में विश्वास नहीं करते और बिना जोखिम के अपनी अवांक्षित आपराधिक गतिविधियाँ को जारी रखते हैं। इस प्रकार के आपराधिक संव्यवहारों को ही 'सफेदपोश अपराध' कहा जाता है अैर ये आवश्यक रूप से स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था की ही उपज हैं।

सफेदपोश अपराधों के संदर्भ में संभवतः **ई. एच. सदरलैण्ड** ऐसे प्रथम विधिवेत्ता थे जिन्होंने आपरधिक जगत में सफेदपोश अपराध की अवधारणा को प्रतिस्थापित किया। उन्होंने

अपराधों के बारे में गहन अध्ययन करने के पश्चात् लोगों का ध्यान निरन्तर बढ़ती हुई आपराधिकता के कारण समाज में नैतिक पतन की ओर आर्कषित किया तथा जन–साधारण को इस बात से अवगत काराया कि मारपीट, चोरी डकैती हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि जैसे रूढिगत अपराधों के अलावा भी कुछ ऐसी असामाजिक गतिविधियाँ भी है जो उच्च वर्ग के लोग अपने व्यवसाय या व्यापार के अनुक्रम में करते हैं, परन्तु जिन्हें अपराध नहीं माना जाता है। इन गतिविधियों को एक लम्बे समय से व्यवसाय या व्यापार का एक हिस्सा ही मान जाता रहा है, अतः इनके विरूद्ध शिकायतों की अनदेखी की जाती रही है और इन्हें करने वाले दण्ड से बच रहे हैं। परन्तु सफेदपोश अपराध की अवधारणा को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने तथा इसकी विस्तुत व्याख्या करने का वास्तविक श्रेय **प्रो0 सदरलैण्ड** को है जिन्होंने अपने शोधपत्र में जोर देकर कहा कि उच्च सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अपने व्यावसायिक या व्यापारिक कार्य के दौरान किये जाने वाले कानूनी उल्लंघन को सफेदपोश अपराध कहना उचित होगा। उन्होंने इसे सफेदपोश अपराध कहा जाने का औचित्य स्थापित करते हुए कहा कि इससे रूढ़िगत अपराधों में विभेद करना सरल होगा। **उन्होंने** सफेदपोश अपराधों से तुलना की दृष्टि से सामान्य अपराधों को **'ब्लू कॉलर क्राइम'** कहना उचित समझा। इन दोनों में अंतर को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि एक दलाल अपनी पत्नी के प्रेमी को गोली मार देता, है, तो यह सफेदपोश अपराध नहीं होगा, लेकिन यदि वह अपने व्यापारिक कार्य के दौरान उस व्यापारिक सम्व्यवहार से सम्बन्धित किसी विधि का उल्लंघन करनता है, तो उसे सफेदपोश अपराधी कहा जाएगा। सफेदपोश अपराधों की व्यापकता और बहुलता की चर्चा करते हुए उन्होंने आगे और स्पष्ट किया कि इसके नित्यप्रति बार–बार घटित होने के बावजूद पुलिस सांख्यिकी में इनके होने का प्रयास बिरले ही मिलता है।

सफेदपोश अपराधों का आपराधिक सिंडीकेटों से विभेद करते हुए सदरलैण्ड ने कहा कि इन दोनों में अंतर का आधार प्रकल्पित प्रतिष्ठितता है, यदि कोई व्यक्ति जो समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का सदस्य है और समाज में उसे सम्मान प्राप्त है तथा वह कोई नकली माल बेचता हे, तो इसे सफेदपोश अपराध कहा जाएगा, परन्तु यदि वही माल कुछ व्यक्तियों का एक गिरोह बेचता है जिनके बारे में उस माल को जानकारी नहीं है, तो इसे सफेदपोश अपराध नहीं कहा जा सकेगा।

1.2 शोध अध्ययन का स्वरूप

भारत में सफेदपोश अपराधों की प्रकृति कुछ इस प्रकार है कि इनके कारण समाज के इतने अधिक लोगों को इस प्रकार की हानि होती है कि व्यक्तिगत दृष्टि से किसी एक व्यक्ति–विशेष पर इसका प्रभाव नाम मात्र का होता है इसी कारण इन अपराधों के प्रति समाज अधिक जागरूक नहीं है। सफेदपोश अपराधियों का दण्ड से बच निकालने का एक अन्य कारण यह भी है कि नकली माल, दुर्व्यपदेशन, कपट आदि के क्रय–विक्रय के सम्बन्ध में 'क्रेता सावधान' का नियम लागू होता है, जिसका आशय है कि कोई भी वस्तु क्रय करते समय क्रेता को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए तथा विक्रेता की बेईमानी से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि कोई वस्तु खरीदते समय क्रेता को विक्रेता की बेईमानी से स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए, यह है कि यदि कोई वस्तु खरीदते समय क्रेता विक्रेता द्वारा किए गए कपट; मिथ्याकथन या धोखे का पता नहीं लगा पाता, तो इससे उत्पन्न हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और वह विक्रेता को दोषी नहीं ठहरा सकेगा।

सफेदपोश अपराधों का विश्लेषण करते हुए अमरीकी अपराधशास्त्री **डॉ. वाल्टर रेकलेस** ने कहा है कि ये अपराध उन व्यापारियों के व्यापारिक अपराधों का प्रतिनिधित्व करते है जो

व्यापार की गतिविधियों एवं नीतियों का निर्धारण करते है। कुछ विद्वानों का मत है कि सफेदपोश अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि लोभ के कारण किये जाते है। अमेरिका में भी द्वितीय विश्वयुद्ध के समय (1939–1945) में **राष्ट्रपति टूमैन** के कार्यकाल में मुद्रा सामग्री की खरीद से सम्बन्धित कुख्यात 'फ्रेडशिप रेकेट' चर्चा का विषय रहा था जिससे राष्ट्रपति के निकटस्थ अधिकारियों के ठेकेदारों के साथ मिलकर देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमरा दिया था। ब्रूस केटन द्वारा लिखित 'दि वार लार्ड्स ऑफ वाशिंगटन' में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान देश के प्रति व्यापारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की कहानी का पर्दाफाश किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि सफेदपोश अपराधों के पनपने का मुख्य कारण यह भी है कि जनता की इनके प्रति उदासीनता है क्योंकि प्रथम तो ये अपराधी अपनी आपराधिक कार्यवाहियाँ विधि के दायरे में रहते हुए करते है तथा दूसरे, यदि इनके विरूद्ध अभियोजन चलाया भी जाए, तो वह न्यायालय में वर्षो तक लंबित पड़ा रहता है और मामले के निपटारे तक लोग उसे भूल चुके होते है। इसके अतिरिक्त सफेदपोश अपराधों का प्रभाव इतने अधिक लोगों पर पड़ता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को नुकसानी नाम मात्र की होती है कि वह इसके प्रति विशेष गंभीरता नहीं दिखाते है। उल्लेखनीय है कि इन अपराधों में अंतर्विष्ट आपराधिकता तथा अनैतिकता में इतना कम अंतर रहता है कि इन्हें व्यापारिक या व्यावसायिक अनैतिकता की बजाय अपराध मामना कठिन होता है।

सफेदपोश अपराधिकता के संदर्भ में एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कभी–कभी समाज के व्यथित व्यक्ति स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में इनके घटित होने में योगदान करते है। अनेक बार अपना काम करवा लेने की नीयत से लोग स्वयं ही लोकसेवकों को रिश्वत देने से पीछे नही है। इसी प्रकार बाजार से किसी वस्तु की सप्लाई कम होने पर वह दुलर्भ हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बढ जाती है जिसमें

अनेक लोग स्वयं ही दूगनी चौगुनी कीमत देकर चोरी छिपे वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में जबकि सामान्य व्यक्ति स्वयं ही इस प्रकार के कार्यो में सहयोग करते है, तो इन अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को दंण्डित करना कैसे सम्भव हो सकता है, स्थिति यह है कि अनेक उपभोक्ता स्वयं ही स्वार्थवश सफेदपोश अपराधों के लिए उत्ततरदायी होते है। अतः स्पष्ट है कि ऐसे अपराधी बहुधा प्रज्ञावान, कुलीन, दूरदर्शी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होते है जब कि हिंस्र अपराध सामान्यतः समाज के निम्नवर्गीय लोगों द्वारा किये जाते है। परन्तु सदरलैण्ड ने इस विचार से असहमति जताते हुए कहा हैं कि 'सामान्य अपराधों तथा सफेदपोश अपराधों को व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर आधारित करना उचित नहीं होगा। ऐसे अनेक मामले होते है जिनमें समाज के उच्चवर्गीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी हत्या, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न, अपहरण आदि जैसे घृणित अपराधाों के लिए कठोरतम दण्ड से दंण्डित किया जाता है जबकि समाज के लिए निम्नस्तरीय व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, धोखा, कपट आदि सफेदपोश अपराध करते है।

अनेक विद्वानों ने सदरलैण्ड द्वारा दी गयी सफेदपोश अपराध की परिभाषा की आलोचना की है। कोलमन एवं मोयहीन के अनुसार यह सुनिश्चित करने हेतु कोई निश्चित आधार या मापदण्ड नहीं है कि सदरलैण्ड द्वारा दी गयी परिभाषा में प्रयुक्त पद "प्रतिष्ठित और सम्भ्रांत प्रास्थिति वाले व्यक्ति" के अंतर्गत वास्तविक रूप से किन व्यक्तियों का समावेश है। उनके विचार से सम्भवतः सदरलैण्ड ने उन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत प्रास्थिति का माना है जिनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि का रिकार्ड नहीं है। इसी प्रकार सदरलैण्ड द्वारा प्रयुक्त पद "उक्त सामाजिक प्रास्थिति" [High social status] भी भ्रामक है। सदरलैण्ड ने स्वयं भी सफेदपोश अपराधी को उच्च सामाजिक प्रास्थिति वाले व्यक्तियों तक सीमित न रखते

हुए मध्यम और यहाँ तक कि निम्न वर्ग के लोगों द्वारा कारित चोरी, कालाबाजारी और धोखाधड़ी के मामले को भी सफेदपोश अपराध माना है। इसीलिए कुछ विद्वानों के अनुसार इन अपराधों को सफेदपोश अपराध कहे जाने के बजाय व्यावसायिक अपराध कहना अधिक उचित एवं तर्कसंगत होगा।

सदरलैण्ड द्वारा दी गई सफेदपोश अपराध की परिभाषा की आलोचना इस आधार पर भी की जा सकती है कि वस्तुतः सफेदपोश अपराध का महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा या प्रास्थिति न होकर अपराध की प्रकृति तथा वे परिस्थितियाँ होती है जिनमें की वह कारित की जाती है। इनमें सामान्यतः मिथ्या, लेखा, रिश्वखोरी, गबन आदि का समावेश मुख्य होता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि अपने विशिष्ट स्वरूप के कारण इन अपराधों के अंतर्गत होने वाली आपराधिक कार्यवाहियाँ विशिष्ट आयोगों, अधिकरणों तथा मण्डलों की अधिकारिता के अंतर्गत आते है न कि सामन्य आपराधिक न्यायालयों में कानूनी दृष्टि से इनकी दोषसिद्धि न होने के कारण इन्हें सही अर्थ में अपराधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस संदर्भ में **टेपन** ने कहा है कि सफेदपोश अपराध करने वाले व्यक्तियों को अपराधी की श्रेणी में रखा जाना अपराध की सर्वमान्य विधिक परिभाषा से हटना होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में इन मामलों को निपटाने में वैधानिक प्रावधानों की बजाय प्रशासकों की वैयक्तिक धारणाओं को ही अधिमान्यता मिल सकती है। इस प्रकार आलोचना का एक अन्य कारण यह भी है कि इसमें अनेक ऐसे अपराधों का समावेश है जो न तो आवश्यक रूप से समाज के केवल प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किये जाने तक ही सीमित है और न आवश्यक रूप से व्यापार या व्यावसाय के दौरान ही किये गये हैं। और यह आवश्यक रूप से व्यापार या व्यावसाय के दौरान ही किये गये होते है। इस परिभाषा की एक और कमी यह भी है कि इसके लिए दूषित आशय का होना आवश्यक नहीं है, जो कि अपराध का एक अनिवार्य तत्व है। इंग्लैण्ड के कॉमन लॉ पर आधारित

दूषित आशय का सिद्धांत भारत में सांविधिक अपराधों के प्रति लागू नहीं होता है इसलिए दूषित–आशय को व्यक्त रूप से या परोक्षतः अपवर्जित किया जा सकता है।

1.3 शोध समस्या का औचित्य

सफेदपोश अपराध एक सामाजिक वास्तविकता है। सामान्यतः इससे समाज को यद्यपि अपूरणीय क्षति तुरन्त अनुभव नहीं की जा सकती परन्तु इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। वे व्यक्ति जो सरकारी सेवाओं में होते हैं, सरकारी धन का अनुचित प्रयोग करके समाज को गम्भीर हानि पहुँचाते है जिसका प्रभाव ईमानदार कर दाताओं पर पड़ता है तथा राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति विफल होती है। समाज जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही अधिक सफेदपोश अपराध भी बढ़ रहे है। भारतीय समाज में इस प्रकार के अपराधों में असाधारण बृद्धि हुई जिसके अनेक कारण है। इनमें सबसे मुख्य कारण वर्तमान समय में हुई विश्वव्यापी आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति है। प्रायः सभी विकसित एवं विकासशील देशों में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए हैं तथा धन सम्पदा में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप सफेदपोश अपराधों के लिए अवसर बढ़े हैं। भारत में निरन्तर बढ़ती हुई सफेदपोश आपराधिकता के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए विधि आयोग ने अपनी उन्तीसवी रिपोर्ट में कहा था कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति एवं एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण सफेदपोश अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य की कल्याणकारी नीतियों के कारण उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सरकारी नियंत्रण के लिए नियमात्मक उपाय आवश्यक है ताकि जन साधारण के हितों में सम्वर्धन हो सके। इन विनियमनों का उल्लंघन होने के कारण सफेदपोश अपराधों में वृद्धि हुई है।

सफेदपोश अपराधियों की उच्च सामाजिक एवं आर्थिक प्रास्थिति स्वयं ही इस प्रकार के अपराधों की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये इतने प्रभावकारी व्यक्ति होते है कि अपना व्यवसाय या कारोबार अवैध गतिविधियों के साथ बड़ी चालाकी से चलाते रहते हैं और पीड़ित व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है कि उसका शोषण हो रहा है या उसे हानि हुई है। समाज के सामान्य व्यक्ति भी इन्हें पकड़वाने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि वे इनके प्रभाव को भलीभाँति जानते ही नहीं हैं। इन अपराधों के बारे में एक यह भी धारणा है कि आपराधिक न्याय प्रशासन से सम्बद्ध प्राधिकारी तथा न्यायाधीशगण स्वयं समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के सदस्य होने के कारण सफेदपोश अपराधियों के प्रति उदारता बरतते है। परन्तु इस तर्क का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। यदि इस तर्क की पुष्ठि का आधार यह माना जाय कि अधिकतर सफेदपोष अपराधी निर्दोष मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा अधिकारी न्यायाधीशों की सहानुभूति के कारण नहीं होता बल्कि इसलिए होता है क्योंकि इन मामलों में आपराधिकता और नैतिकता के बीच सीमा–रेखा बहुत पतली होती है, इसलिए अपराध तथा अपराधी प्रायः सिद्ध नहीं हो पाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में हुई आधुनिक प्रगति के कारण भी सफेदपोश आपराधिकता में अनेक नये आयामों का प्रादुर्भाव हुआ है। कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराधों को साइबर अपराध की संज्ञा दी गयी है। जिसके बढ़ते प्रभाव के कारण अनेक देशों के आपराधिक विधि प्रवर्तन से सम्बन्धित अभिकरणों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। साइबर अपराधों की प्रकृति ही कुछ ऐसी है ये आसानी से पकड़ में नहीं आते है क्योंकि इनके लिए अपराधी का घटना स्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होता है। और इन अपराधों को कारित करने के लिए विशेष पूर्व तैयारी या साधनों की आवश्यकता भी नही होती है। जिन क्षेत्रों में साइबर अपराधों का प्रवेश हुआ है उनमें बैंकिग सेवा, वित्तीय संस्थाएँ, दूर संचार सेवाओं, परिवहन सेवा, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि विशेष उल्लेखनीय है। साइबर अपराधों की रोकथाम

हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया गया है तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की 20 (बीस) धाराओं को संशोधित करके उनमें प्रयुक्त दस्तावेज शब्द के साथ इलेक्ट्रानिक रिकार्ड जोड़ा गया है ताकि साइबर अपराधों के प्रति भी इन धाराओं के प्रावधानों को लागू किया जा सके, फिर भी अनेक साइबर अपराधी बच निकलने में सफल हो जाते है। अतः इन अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को संशोधनों सहित दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया था जिसे लोकसभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 तथा राज्य सभा द्वारा अगले दिन अर्थात् 23 दिसम्बर, 2008 को पारित कर दिया गया। यह नया अधिनियम एक व्यापक कानून है जिसके द्वारा मूल–अधिनियम की कमियों को दूर किया गया और अपराधों पर उचित रोक और नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया है। इसमें संदेह नही कि सफेदपोश अपराध आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुके हैं तथा अन्य देशों की भाँति भारत में भी इस प्रकार के अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। गत तीन दशकों में भारत ने आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसके कारण इनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत में व्यापारियों, उद्योगपतियों ठेकेदारों, वस्तु की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों तथा लोक–अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले ऐसे अपराधों का विस्तृत व्योरा प्रस्तुत किया था।

भ्रष्टाचार निवारण हेतु गठित आयोग ने अपने प्रतिवेदन (1964) में सफेदपोश अपराधों के व्यापक स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहा है कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप एकाधिकार जैसे सामाजिक–आर्थिक अपराधों में वृद्धि हुई है जिनके कारण कानूनों का प्रवर्तन प्रभावी ढंग से नही हो पा रहा है क्योंकि वे पर्याप्त रूप से निवारक नहीं है। टेक्स की चोरी, शेयर–बाजारों तथा कम्पनी प्रबन्धनों में व्याप्त कदाचार, जमाखोरी, चुनाव सम्बन्धी

धोखाधड़ी आदि सफेदपोश अपराध के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। आयोग ने सफेदपोश अपराधों को आठ श्रेणियों में वगीकृत कर उन्हें भारतीय दण्ड संहिता में एक पृथक् अध्याय के रूप में समाविष्ठ किये जाने का सुझाव दिया था। लेकिन भारत सरकार ने उक्त प्रतिवेदन को भारत के विधि आयोग को विचारार्थ प्रेषित कर दिया। परन्तु विधि आयोग ने सफेदपोश अपराधों को दण्ड विधान में समाविष्ट किये जाने के प्रति अपनाई गई अहमियत दर्शाते हुए कहा कि इन अपराधों को उन विशेष एवं पृथक् अधिनियमों के अधीन निपटाया जाना ही उचित होगा जो आपराधिक विधि के पूरक के रूप में प्रभावी है।

1.4 साहित्य का पुर्नविलोकन :

वर्तमान समय में सफेदपोश अपराध तथा अपराधियों की भूमिका में आमूल परिवर्तन हुआ। सफेदपोश अपराध तथा अपराधियो का विषय न्यायाधीशों, न्यायविदों, अधिवक्ताओं, विधि मर्मज्ञों शोधार्थियों, प्रिंट एवं इलेक्टॉनिक मीडिया, गैर सरकारी संस्थओं, मानवाधिकार, पर्यावरण स्त्री सशक्तिकरण एवं लैंगिक न्याय, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पित संगठनों एवं प्रबुद्ध नागरिकों को हमेशा से आकृष्ट करता रहा है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस विषय पर कई ग्रन्थ एवं शोध लेख विगत वर्षो में प्रकाशित हुए है। जहाँ सफेदपोश अपराध विषयक अधिकांश प्रकाशित ग्रंथ या टीकाओं या पाठ्य पुस्तकों के रूप में है वही शोघ पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख अपने सीमित प्रासंगिकता के है। इस विषय पर श्रेष्ठ संदर्भ आंग्ल भाषा में है और उनकी विषयवस्तु अन्य देशों की सफेदपोश अपराध प्रणाली से सम्बन्धित विधियाँ हैं। विगत कुछ वर्षो में इस विषय पर भी शोधग्रन्थ लिखे गये हैं परन्तु जहाँ तक इस शोधार्थी का ज्ञान है वे सभी आंग्ल भाषा में है और सफेदपोश अपराध प्रणाली विधि के किसी विशिष्ट पहलू से सम्बन्धित है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रतिपाद्य विषय "**भारत में सफेदपोश अपराध से सम्बन्धित विधियों का**

आलोचनात्मक अध्ययन" है जिस पर हिन्दी में कौन कहे अंग्रेजी भाषा में भी बहुत कम शोध अध्ययन हुये है। चुँकि विधि का निरन्तर अध्ययन, उसका आलोचनात्मक परीक्षण एवं विश्लेषण तथा समय–समय पर उसकी समीक्षा विधि सुधार का प्रथम सोपान है इसलिये अन्य विधियों की भाँति सफेदपोश अपराध प्रणाली विधि की निरन्तर समीक्षा इस विधि की उपयोगिता; प्रभावकारिता एवं प्रासंगिकता के अनुसरण के लिए परमावश्यक है। प्रस्तुत शोध ग्रन्थ इस उद्देश्य की पूर्ति करने की दिशा में एक विनम्र प्रयास है। इसका आशय किसी आश्चर्य जनक या रोमांचकारी निष्कर्ष या संस्तुतियों को प्रस्तुत करना नहीं है, अपितु वर्तमान सफेदपोश अपराध विधि एवं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं को न्यायिक निर्णयों एवं सुसंगत संवैधानिक तथा सांविधिक प्राविधानों की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास करना मात्र है, जिसे शोध की सामान्य परिसीमाओं के अंतर्गत ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ किया गया हैं।

1.5 परिकल्पनाये :

यह शोध प्रबन्ध निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित हैः–

1. सफेदपोश अपराध के निवारण से सम्बन्धित वर्तमान विधिक प्रणाली तथा इससे सम्बन्धित अधिनियम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और मौलिक अधिकारों, विशेषकर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निहित मूल्यों का संरक्षण करने में पूर्ण रूप से संक्षम नहीं हैं तथा यह मानवीय मूल्यों के अनुरूप मेंल नहीं रखती है।
2. सफेदपोश अपराध से सम्बन्धित वादों में अधिकांश न्यायाधीशों का परम्परावादी एवं अनुदारवादी दृष्टिकोण व्यक्तियों की अपेक्षाओं, आदर्शो, मानवीय मूल्यों के साथ–साथ संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

1.6 शोध अध्ययन का उद्देश्य :

विधि अमूर्त नियमों का निकाय नही अपितु सामाजिक परिवर्तन का संवाहक भी है और इसका पुनीत कार्य समाज में विद्यमान विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक तथा सार्वजनिक दावों एवं अधिकारों में समन्वय समायोजन एवं संतुलन स्थापित करके सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को अग्रसर करना तथा सामाजिक तानावों, आर्थिक समझौता एवं अशान्ति मूलक विवादों से समाज को मुक्त करके राज्य के आर्थिक, सामाजिक औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास एवं उसके सर्वागीण समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। सामाजिक अभियांत्रिकी के उपकरण के रूप में विधि की यह भूमिका न्याय प्रशासन में लोकहित वाद वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लोकहित, अभियुक्त के स्वच्छ विचारण में निहित हित, जनता जर्नादन के जानने एवं सूचना पाने में निहित लोकहित तथा लोकतंत्र के स्तम्भ के रूप में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जनता के प्रति दायित्व में स्वस्थ एवं समुचित संतुलन बनाये रखने के सम्बन्ध में भी है। लेकिन इस अध्ययन में वर्णित विभिन्न कारणों एवं न्यायालयों की अपेक्षाकृत कम सकारात्मक प्रवृत्ति के कारण संतुलन बनाने का यह कार्य वर्तमान में एक गम्भीर समस्या या चुर्नाती के रूप में हमारे समक्ष है।

इस पृष्ठिभूमि में वर्तमान शोध प्रबन्ध के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य अग्रलिखित इस प्रकार है–

1. सफेदपोश अपराध के सम्बन्धित विधि तथा इसके विभिन्न पहलुओं का सुसंगत सांविधिक प्राविधानों एवं न्यायिक निर्णयों की सहायता से विश्लेषण प्रस्तुत करना।
2. सफेदपोश अपराध एवं संविधान में प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मध्य विद्यमान संघर्ष एवं तनाव की विवेचना करना एवं आधुनिक संदर्भो में इन दोनों के बीच में समुचित संतुलन स्थापित करने हेतु सफेदपोश अपराध से सम्बन्धित विधि में संशोधन करने की अनुसंशा करना।

मुख्य रूप से इस शोध प्रबन्ध का उद्देश्य सफेदपोश अपराध तथा इससे सम्बन्धित विधि के क्रमिक उद्विकास को रेखांकित करना, सुसंगत सांविधिक प्राविधानों की निर्णयज विधि की सहायता से समीक्षा प्रस्तुत करना, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर इस विधि की के प्रभावों का विवेचन करना एवं आधुनिक संदर्भो में इस विधि की उपादेयता का परीक्षण करना है। प्रत्येक शोध प्रबन्ध की अपनी अलग–अलग विशेषतायें और सीमायें होती है, शोधार्थी के लिए समयाभाव तथा स्थानाभाव के कारण विषय के सभी पहलुओं का सभी दृष्टिकोण से अध्ययन प्रस्तुत कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। यह षोध प्रबन्ध इसका अपवाद नहीं है।

1.7 अनुसंधान पद्धति :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध एक सैद्धान्तिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, विवेचनात्मक, सुझाावात्मक एवं मूल्यात्मक पद्धतियों का प्रयोग निष्कर्षो को निस्तृत करने हेतु किया गया है। इस शोध प्रबन्ध के लिए सामग्री प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र की गयी है। सुसंगत शोध सामग्री विषय पर लिखि गयी टीकाओं, संदर्भ ग्रन्थों, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों तथा विदेशी न्यायालय के निर्णयों एवं शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों से संग्रहीत की गयी है।

शोधकर्त्ता ने इस विषय विषय पर शोध प्रबन्ध के लिए अनुभवजन्य अनुसंधान के साथ–साथ सिद्धांत संबंधी सैद्धान्ति अनुसंधान (डॉक्ट्रिनल रिसर्च) शोध पद्धति को अपनाया गया है जैसा कि विदित है, कि विधि एक मानक विज्ञान है, यह मानक विज्ञान विधि, राज्य के अनुमोदन के माध्यम से लागू स्थिति या परिस्थितियों में मानव व्यवहार के लिए मानदण्डों और मानकों को निर्धारित करता यह विधि अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग है, वह इसका आदर्श चरित्र है। इस तथ्य के साथ कि विधि की स्थिरता और निश्चिता वांछनीय लक्ष्य हैं और सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, विधि शोधकर्त्ता के लिए प्राथमिक चिंता का विषय हैं।

शोध अध्ययन के विधिक वाद का विश्लेषण, विधिक व्यवस्था, कानूनी प्रस्तावों को व्यवस्थित करना, और कानूनी संस्थानों का अध्ययन, करना शामिल है। ऐसा करने के लिए कानूनी तर्क या तर्कसंगत कसौटी को माध्यम बनाया गया है। इस अध्ययन में, पुस्तकें, कानूनी पत्रिकाओं, लॉ जर्नल्स, विधिक वाद, सम्मेलनों की कार्यवाहियों, शोध प्रबन्ध, समितियों और आयोग की रिपोर्ट, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत की जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण,.संगठन शब्दकोषों, विधियों, पत्रिकाओं मैनुअल और समाचार पत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। सामग्री एकत्र करने के लिए इंटरनेट का उपयोग भी किया गया हैं।

जैसा कि कानून समाज के लिए है, यह समाज में संचालित होता है और इसलिए, शोधकर्त्ता के लिए सामाजिक नीति, तथ्यों और सामाजिक मूल्य का ज्ञान आवश्यक है। वर्तमान अध्ययन में, शोधकर्त्ता को समाजसास्त्रीय डेटा द्वारा अपने विचारों का परीक्षण करने का अवसर मिलता है, यह निश्चित रूप से उनके शोध में मूल्य जोड़ देगा। शोधकर्त्ता ने इस सम्बन्ध में पहले विषय के अध्ययन द्वारा जानकारी एकत्र किया फिर इस सम्बन्ध में अनुभवजन्य अनुसंधान प्रणाली का प्रयोग किया। यह सिद्धांत या प्रणाली किसी अनुभव या अवलोकन पर निर्भर करता है और इसलिए इसे प्रयोगात्मक प्रकार का शोध भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के शोध में, शोधकर्त्ता वास्तविक परीक्षण या समाज में कानून और कानूनी संस्थानों के अवलोकन द्वारा प्रभाव या प्रभाव की जांच करने का प्रयास किया है। अतः शोधकर्त्ता ऐसे सवालों का जबाब देना चाहता है जो किसी प्रकार से कानून और कानूनी संस्थाएं समाज की आवश्यकता की सेवा कर रही है क्या वे उस समाज के अनुकूल हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं? यह पहचान के साथ भी चिंता करता है और नई समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करता है, जिन्हे कानून के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है।

अनुभवजन्य अनंसंधान के शोध में, सबसे पहले शोधकर्त्ता ने एक परिकल्पना को स्वीकार किया या संभावित परिणामों के रूप में अनुमान लगाया और फिर उसकी परिकल्पना को साबित करने या उसे खारिज करने के लिए पर्याप्त तथ्यों को एकत्र किया। इसके बाद उन्होंने प्रयोगात्मक डिजाइन तैयार किए, जो उन्होंने सोचा कि सम्बन्धित व्याक्तियों या सामग्री को अच्छी तरह से हेरफेर करें, ताकि वांछित जानकारी सामने आ सकें।

1.8 उपसंहार :

भारत में जहाँ अधिकांश लोग अशिक्षा, अज्ञानता, तथा निर्धनता से पीड़ित हैं, वहॉ अपराधों का अधिक होना स्वाभाविक ही है यहाँ आपराधिक न्यायिक अधिकारियों के लिए अपराध निवारण, विशेषतः सफेदपोश अपराधों का निवारण, एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। भारत में निरंतर बढ़ती हुई आपराधिकता को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय अपराध निवारण आयोग का गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। जो अपराध और अपराधियों से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का सर्वेक्षण करता रहे और इन पर नियंत्रण के प्रभावी उपचारात्मक उपाय सुझाता रहे। अतः इस प्रकार के अपराधों में जनता की सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगी। जब तक जनता इन अपराधों के प्रति रोष और तिरस्कार नहीं दर्शाती, तब तक इस प्रकार के अपराधों का निवारण कठिन है। यह कार्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नैतिक आचरण तथा चरित्र निर्माण शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ही बल देकर सरलता पूर्वक किया जा सकता है। ईमानदारी, निष्ठा, राष्ट्रीय भावना, ये सब चरित्र निर्माण से ही सम्भव है जिन्हें बच्चों से ही प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः यदि बचपन से ही उचित शिक्षा द्वारा बालक—बालिकाओं में अच्छे नागरिक के गुण विकसित किये जाएँ, तो निःसंदेह ही आगे चलकर ये बच्चे आदर्श नागरिक बनेंगे और आने वाली पीढ़ी में अपराध और आपराधिकता की प्रवृत्ति स्वयमेव कम होती जाएगी। अतएव भारत

जैसे विकासशील देश में जनसंख्या में बेशुमार वृद्धि हो रही है, जिससे रूढिगत अपराधों के साथ–साथ आर्थिक अपराधों में भारी वृद्धि हुई है, ये अपराध अधिकतर समाज के उच्च एवं मध्यमवर्ग के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान औद्योगिक, सामजिक, वाणिज्यिक तथा वैज्ञानिक प्रगति की देन कहे जा सकते है। वर्तमान समय में लोगों में निरन्तर बढ़ती हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा बढ़ती जा रही हैं और यह जीवन का अंतिम लक्ष्य बन चुका है। जिसके कारण समाज के नैतिक मूल्यों में लगातार ह्मस होता जा रहा है और दुर्व्यपदेशन, भष्टाचार, मुनाफाखोरी, काला, बाजारी, मिलावट, करों का अपवर्जन आदि ने व्यापार एवं व्यवसाय जगत की सामान्य तकनीक का रूप धारण कर लिया है। ऐसी स्थिति में समाज में बढ़ती हुई सफेदपोश अपराध के प्रति उदासीनता बरतने के बजाय जनता के सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी से इनका निवारण किया जाना ही एक मात्र प्रभावी उपाय है। जिसमें कानून एक सहायक ही भूमिका निभा सकता है।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि सफेदपोश अपराध अधिकतर ऐसे व्यक्तियों द्वारा किये जाते है। जो समाज में उच्च और सम्भ्रात होने के अलावा उच्च शिक्षित तथा अपने व्यापार या व्यवसाय में निपुण या पारंगत होते हैं। अतः वे इन अपराधों को इतने सुनियोजित ढंग से करते है कि साधारणतः इनका पता लगना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। इन अपराधों में केवल एक या कुछ व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जिसमें मुद्रा की जालसाजी, तस्करी, वित्तीय घोटाले, आर्थिक धोखाधड़ी आदि ऐसे जघन्य सफेदपोश अपराध हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए संघातक होते है।

1.9 शोध प्रबन्ध की रूपरेखा :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में सदरलैण्ड द्वारा दिये गये प्रमुख सिद्धांत सफेदपोष अपराध से सम्बन्धित सिद्धांतो एवं दण्ड प्रणाली विधि का विस्तृत रूप से अध्ययन प्रस्तुत करके, इससे समाज में उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के साथ ही साथ उसे दूर करने हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया जा सकता है। इस षोध प्रबन्ध में प्रतिपाद्य विषय को कुल आठ अध्यायों में विभाजित किया गया है।

प्रथम अध्याय– प्रस्तावना

द्वितीय अध्याय– भारत में सफेदपोश अपराध के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि

तृतीय अध्याय– सफदपोश अपराध की परिभाषा, प्रकृति तथा उसका वर्गीकरण

चतुर्थ अध्याय– भारत में सफेदपोश अपराधों में वृद्धि के कारण तथा सदरलैण्ड के विचारों की आलोचना

पंचम अध्याय– शैक्षणिक तथा व्यापारिक जगत मे सफेदपोश अपराधों की भूमिका तथा सफेदपोश अपराध एवं रूढिगत अपराधों में विभेद

षष्ठम अध्याय– सफेदपोश अपराध के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण तथा आलोचनात्मक मूलयांकन

सप्तम् अध्याय– भारत में सफेदपोश अपराधों की रोक–थाम हेतु उपाय एव उपचार

अष्ठम् अधयाय– निष्कर्ष, सुझाव एवं उपसंहार

निर्देश :

(अ) पुस्तकें–

1. शर्मा, पी. डी. : पुलिस एण्ड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया (1985)
2. सेठना एम. जे. : सोसायटी एण्ड क्रिमिनल (1964)
3. वाल्टर रेकलेस : दि क्राइम प्रॉबलम पृ. 345
4. गोस्वामी पी. : क्रिमिनोलॉजी (1964) पृ. 249
5. सदर लैण्ड : प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी (छठा संस्करण) पृ. 49
6. सदरलैण्ड : इज ह्मइट कलन क्राइम ए क्राइम
7. आर. देब : प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल लॉ एण्ड इन्वेस्टिगेशन (द्वितीय संस्करण) पृ. 11
8. वर्मा परिपूर्णानन्द, : क्राइम, क्रिमिनल एण्ड कानविक्ट
9. टेफ्ट डोनाल्ड, : क्रिमिनोलॉजी (चतुर्थ संस्करण)
10. डेविड ड्रेविड ड्रेसलर : रीडिंग्ज इन क्रिमिनोलॉजी (द्वितीय मुद्रण) 1966 पृ. 91
11. सदरलैण्ड एण्ड क्रेजी, : क्रिमिनोलॉजी (छठा संस्करण)
12. पार्थसारथी पति : साइबर क्राइम पृ. 5
13. शास्त्री पी. के. : कम्प्यूटर साइंस एण्ड कम्प्यूटर फोरेन्सिक्स (2001) पृ. 5
14. डॉ परांजपे, एन. वी. : लोकहित वाद, विधिक सहायता एवं सेवाएं तथा लोक अदालते (तृतीय संस्करण, 2012)
15. सुरेन्द्र सहाय श्रीवास्तव : अपराधशास्त्र, दण्डशास्त्र एवं पीड़ित शास्त्र
16. चतुर्वेदी मुरली धर, : दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
17. डॉ परांजपे, एन. वी. : भारतीय दण्ड संहिता, 1860
18. के. डी. गौड़ : क्रिमिनल लॉ एण्ड क्रिमिनोलॉजी (2003)

19. पाण्डेय जे. एन. : भारत का संविधान

(ब) संदर्भित वाद

1. आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ, (1982) आई. टी. आर. 239.
2. वी. एम. अब्दुल सत्तार बनाम ए.पी., सी. बी. ई. कोचीन दां. नि. प. 1988 पृ. 147
3. प्रावीडेन्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी बनाम आयकर आयुक्त, ए. आई. आर. 1954 बम्बई 95
4. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉ मनमोहन सिंह, ए. आई. आर. 2012 एस.सी. 1185
5. विनीत नारायण बनाम भारत संघ, (1988) 1 एस. सी. सी. 226.
6. जयललिता बनाम भारत संघ, (1999) 5 एस. सी. सी. 138.
7. आन्ध्र प्रदेश सरकार बनाम पी. वी. रेड्डी, ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3346
8. निम्मागड्डा प्रसाद बनाम केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 2821
9. कॉमन कॉज–ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ (2017) 7 एस. सी. सी. 158.
10. रेडिफ कम्यूनिकेशन्स लि. बनाम साइबर बूथ एण्ड रमेष नाहटा, ए. आई. आर. 2000 बम्बई 27.
11. गोडार्ड बनाम हाब्स (1978) 4 ए. सी. 13

स. अधिनियम

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संषोधन), 2005
5. खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954
6. आवश्यक वस्तु (संशोधित) अधिनियम, 1933;

7. भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930
8. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2004
9. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 39 (ख) एवं (ग)
10. आयकर अधिनियम, 1961
11. विदेशी मुद्रा विनियम कानून, 1973
12. सूचना प्रोद्योगिकी अधिनिमय, 2000

द. समितियाँ :

1. संथानम समिति, (1964)
2. भ्रष्टाचार निवारण आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट (1964)
3. भारत के विधि आयोग की 47 वीं रिपोर्ट
4. एकाधिकार जाँच आयोग का प्रतिवेदन (1965)
5. लोकपाल की नियुक्ति हेतु चयन समिति, नवम्बर 2014

य. संदर्भित जर्नलों की सूचीः

- ऑल इण्डिया रिपोर्ट.
- इलाहाबाद लॉ जर्नल.
- उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका.
- क्रिमिनल लॉ जर्नल.
- चान्सरी डिवीजन लॉ रिपोर्टस.
- चान्सरी लॉ रिपोर्टस.

- पटना लॉ जर्नल रिपोर्टस.
- लॉ टाइम्स.
- लॉ रिपोर्टस इण्डियन अपील (प्रिवी कौसिंल).
- लॉ रिपोर्टस, किंग्स बेन्च.
- सुप्रीम कोर्ट केसेज.
- सुप्रीम कोर्ट जर्नल.
- हाउस ऑफ लार्डस केसेज बाई क्लार्क.
- मद्रास लॉ जर्नल,

र . संदर्भित समाचार पत्रों की सूची

- दैनिक जागरण
- हिन्दुस्तान
- अमर उजाला
- राजस्थान पत्रिका
- आउट लुक
- इण्डिया टूडे
- द टाइम्स ऑफ इण्डिया
- द हिन्दू

- नव भारत टाइम्स
- नेशनल लॉ न्यूज पॉइनियर
- प्रज्ञा

वेबसाइट :

1. डब्लूडब्लूडब्लू. गूगल.काम
2. डब्लूडब्लूडब्लू. जेएस. एनएसडब्लू.आर्ग.इन
3. डब्लूडब्लूडब्लू. जेस्टर.आर्ग
4. डब्लूडब्लूडब्लू. पार्लियामेण्ट.एनएसडब्लू.गव्व.इन
5. डब्लूडब्लूडब्लू. मनुपात्रा.काम
6. डब्लूडब्लूडब्लू. रेडिफ.काम
7. डब्लूडब्लूडब्लू. लीगल सर्विस इण्डिया.काम
8. डब्लूडब्लूडब्लू. विकीपिडीया.आर्ग
9. डब्लूडब्लूडब्लू. वेस्टलॉइण्टरलेषलन.काम
10. डब्लूडब्लूडब्लू.याहू.काम